

# आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक - एफ 1(92) पीएस / निकाशि / 13 / पार्ट / 225

दिनांक - 12.11.2020


प्राचार्य,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान।

विषय :- राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा ) नियम 1986 के तहत नियुक्त संकाय सदस्य के लिए आचार्य पद पर पदोन्नति हेतु नोडल महाविद्यालय की सूची के क्रम में (सीएस योजनान्तर्गत)

सन्दर्भ :- आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के पत्र क्रमांक एफ 1(92) पीएस / निकाशि / 13 / पार्ट / 209 दिनांक 27.10.2020


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र में आचार्य पद के आवेदनों के जांच हेतु संलग्न की गयी API गणना हेतु दी गयी नोडल महाविद्यालयों सूची के सम्बन्ध में लेख है कि -

1. आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान में पदस्थापित / सेवानिवृत्त आवेदनकर्ता अपने आवेदन को जांच हेतु राजकीय महाविद्यालय, जयपुर में प्रस्तुत करेंगे।
2. विभिन्न महाविद्यालयों के संकाय सदस्य जो आयुक्तालय / महाविद्यालय या अन्य किसी विभाग में प्रतिनियुक्ति अथवा कार्यव्यस्थार्थ कार्यरत है वे अपने आवेदन को जांच हेतु मूल पदस्थापित महाविद्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
3. सूची में जहाँ पर भी " राजकीय विज्ञान महाविद्यालय कोटा" अंकित है उसे "राजकीय कला महाविद्यालय कोटा" पढ़ा जावे।

  
12/11/2020  
(डॉ. आर. सी. मीना)  
संयुक्त निदेशक  
कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. वेबसाइट प्रभारी - कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
3. रक्षित पत्रावली।

  
12/11/2020  
(डॉ. आर. सी. मीना)  
संयुक्त निदेशक  
कॉलेज शिक्षा राजस्थान